

1 आइटम नंबर

57 कोर्ट नंबर 9

सेक्शन XI

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
कार्यवाही का रिकॉर्ड

अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका (C) नंबर 20360-20361/2025

[इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा FAFO नंबर 602/2023 और FAFO नंबर 297/2024 में 12-11-2024 को दिए गए अंतिम फैसले और आदेश से उत्पन्न]

नथूराम शर्मा और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

पंकज यादव और अन्य -

प्रतिवादी

(सुनवाई के लिए और I.R.)

(IA नंबर 135403/2025 - O.T. दाखिल करने से छूट IA नंबर 135402/2025 - अतिरिक्त दस्तावेज/तथ्य/एनेक्शर दाखिल करने की अनुमति IA नंबर 283184/2026 - पक्षकार बनने के लिए आवेदन) तारीख : 25-09-2026 इन मामलों को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया। कोरम : माननीय न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह माननीय न्यायमूर्ति मनमोहन याचिकाकर्ता(ओं) के लिए श्री हुजेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिशिर देशपांडे, AoR श्री कौशल नारायण मिश्रा, अधिवक्ता श्री नीलकंठ नायक, अधिवक्ता श्री अमित यादव, अधिवक्ता श्री देव दत्त मिश्रा, अधिवक्ता प्रतिवादी(ओं) के लिए श्री राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.के. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री प्रीतिका द्विवेदी, AoR श्री संजय कुमार विसेन, AoR सुश्री हिमानी भटनागर, वकील श्री गौरव मान, वकील श्री अंकुश सिंह, वकील श्री समीर अली खान, वकील श्री शांतनु कृष्णा, AoR 2 सुश्री वैष्णवी श्रीवास्तव, वकील सुश्री गरिमा यादव, वकील श्री प्रांजल शर्मा, वकील श्री गौरव अग्रवाल, वकील श्री शशांक सिंह, AoR श्री संजीत पालीवाल, वकील आदेश याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील श्री हुजेफा अहमदी और प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 6 की ओर से सीनियर वकील श्री राकेश द्विवेदी की दलीलें सुनी गईं; साथ ही सीनियर वकील श्री सिद्धार्थ दवे और श्री वी.के. सिंह की दलीलें भी सुनी गईं। 2. पक्षकार के तौर पर शामिल होने के लिए I.A. नंबर 283184/2026 को मंजूरी दी जाती है। इसके अनुसार, आवेदक को प्रतिवादी पक्ष के तौर पर शामिल किया जाता है। केस का शीर्षक उसी के अनुसार बदला जाए। वकील श्री संजय कुमार विसेन ने आवेदक की ओर से पेश होने की सूचना दी है और इसे रिकॉर्ड पर लिया गया है। 3. इन मामलों को कल इसलिए स्थगित किया गया था ताकि पक्षकारों के वकील एक ऑडिटर का नाम सुझा सकें, जिसे इन मामलों में नियुक्त किया जा सके। 4. आज, पक्षकारों के सीनियर वकीलों की ओर से दो अलग-अलग सूचियाँ सौंपी गई हैं। हालांकि, इन लिस्ट पर कोई भी चर्चा होने से पहले, रेस्पॉन्डेंट नंबर 1, 2 और 6 के सीनियर

वकील ने बहुत उदारता दिखाते हुए कहा कि वे याचिकाकर्ताओं के सीनियर वकील द्वारा सुझाए गए ऑडिटर, यानी M/s रूपेश गोयल एंड कंपनी (203-204, D-5, अवध कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, ईमेल: romgoyal@gmail.com) को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। 3 5. ऊपर बताई गई बातों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये मौजूदा याचिकाएं मुख्य रूप से एक अंतरिम व्यवस्था के बारे में हैं, जो ट्रायल कोर्ट द्वारा मुख्य मुकदमे का फैसला होने तक जारी रहेगी, हम M/s रूपेश गोयल एंड कंपनी (203-204, D-5, अवध कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, ईमेल: romgoyal@gmail.com) को संबंधित सौसाइटी के लिए ऑडिटर नियुक्त करते हैं। यह ऑडिटर मौजूदा ऑडिटर, यानी मनोज जीवन एंड एसोसिएट्स (GL-1, सृष्टि अपार्टमेंट खेरापति रोड, ग्वालियर, M.P.-474002) की जगह लेगा। ऑडिटर स्वतंत्र रूप से सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच करेगा और चालू वित्त वर्ष के लिए ऑडिट करेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 6. हालांकि, अगर मुकदमे के दौरान कोई ऐसी जानकारी सामने आती है जिससे पता चलता है कि अतीत में कोई गंभीर अनियमितता/धोखाधड़ी हुई है, तो हम इस पर फैसला लेने का काम ट्रायल कोर्ट पर छोड़ते हैं। ट्रायल कोर्ट जरूरत पड़ने पर आज नियुक्त किए गए ऑडिटर से उन अवधियों के लिए भी ऑडिट करने के लिए कह सकता है। संबंधित पक्षों के लिए यह खुला है कि वे अपने पास मौजूद सभी दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाएं और ऑडिटर तथा ट्रायल कोर्ट के सामने आपत्तियां भी उठाएं, जिन पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। 7. हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस कोर्ट द्वारा मौजूदा ऑडिटर की नियुक्ति, किसी भी पक्ष के बारे में या उस ऑडिटर की ईमानदारी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं है, जिसे बदला गया है। 8. पक्षों के वरिष्ठ वकील संयुक्त रूप से अनुरोध करते हैं कि ट्रायल कोर्ट मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश भी दे। 9. हमें यह अनुरोध उचित लगता है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाए और इसे पूरा करे, बेहतर होगा कि आज से एक साल के भीतर ऐसा किया जाए। 10. संबंधित पक्षों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी याचिका दायर करने की छूट होगी, जिस पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। 11. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, ये स्पेशल लीव याचिकाएं निस्तारित (disposed of) की जाती हैं। 12. यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उसका भी निपटारा हो जाएगा। (सपना बिष्ट) (अंजलि पंवार) कोर्ट मास्टर (SH) असिस्टेंट रजिस्ट्रार